प्र.सं. 19/22, 20/22 रतनसिंह व अन्य बनाम होमा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या 149 नया 148 पुराना के कुल सर्वे नंबर 58 रकबा 8.93 हैक्टर भूमि वाके ग्राम ढालर, तहसील गांगडतलाई में स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का 1/3 हिस्सा निहित है, जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित है तथा पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु अभी 3–4 दिन पूर्व प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने लगे। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर खाता राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग अंकित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 03.06.2017 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17.05.2018 को अंतिम डिक्री जारी। उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा ये अपीलें इस न्यायालय में दिनांक 21.10.2022 को प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल मईडा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान तथा विवादित आराजियात समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 39/2016 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मौके पर विवाद उत्पन्न होने पर निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपीलें समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी हैं। अतः दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलें अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। चूंकि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किये गये हैं तथा पूर्व में उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस प्राप्त नहीं हुए, फिर भी अपीलान्टगण के विरूद्ध दिनांक 23.11.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने एवं बिना राजीनामें के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 03.06.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलान्टगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2018 त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते [illegible] ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उ[illegible] स[illegible] के आधार पर निर्णय पारित करते हुए [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

जारी की है, जो विधि सम्मत होने से दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी पेशी 14.10.2016 नियम की गयी। दिनांक 14.10.2016 को पीठासीन अधिकारी जनकल्याण शिविर में होने से पेशी दिनांक 23.11.2016 को नियत की गयी एवं दिनांक 23.11.2016 प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है तथा प्रकरण बिना सहमति एवं बिना राजीनामे के राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 03.06.2017 को मात्र वादी होमा की उपस्थिति में वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। तत्पश्चात् जिस बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह भी अपीलान्टगण/प्रतिविादीगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, तद्नुसार उक्त बंटवारे प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 39/2016 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.06.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2018 अपास्त की जाती हैं तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

31.12.24

(कीर्ति [illegible])
भू–प्रबन्ध [illegible]कारी
एवं पदेन [illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested